-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने वाले 02 अभियुक्तों (पुत्र एवं साले) को थाना बबेरू पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 29.10.2026 की देर शाम थाना बबेरू पुलिस द्वारा जान से मारने की नीयत से गोली मारकर व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी उसके पुत्र एवं साले को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा एवं कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गौरतलब हो कि थाना बबेरू क्षेत्र के ग्राम मुरवल निवासी महादेव पुत्र रामाधार को दिनांक 28.10.2026 की शाम उनके पुत्र शिवा एवं साले कामता द्वारा पारिवारिक एवं जमीन संबंधी विवाद को लेकर उन्हें जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके सम्बन्ध में थाना बबेरू पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया तथा घटना के संबंध में आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए तथा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा लगातार त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों को दिनांक 29.10.2026 को रात्रि गश्त व चेकिंग के दौरान तुर्की तालाब के पास से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा एवं कारतूस बरामद किए गए हैं।

बरामदगी-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 01 अवैध खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कामता पुत्र शंकर निवासी मुरवल थाना बबेरू जनपद बांदा।
2. शिवा पुत्र महादेव निवासी मुरवल थाना बबेरू जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

➢ मु0अ0सं0- 357/26 धारा 109(1)/352/45/3(5) बीएनएस तथा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरू जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली की टीम-

1. चौकी प्रभारी मुरवल श्री शैलेश यादव
2. कां0 इन्द्रजीत
3. कां0 कर्मवीर यादव